

क्रमांक- 4214/61/2010  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,  
भोपाल-462003  
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,  
Email ID-cao.eincwrdbpl@gmail.com

भोपाल, दिनांक 7/10/2019

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग,  
..... (म0प्र0)

विषय :- साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये प्रदत्त अधिकारों के संबंध में ।  
संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 4214/61/2010, दिनांक 22.09.2015 एवं  
समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2016, 30.05.2016 एवं दिनांक 08.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश दिनांक 08.05.2018 द्वारा साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये एक वित्तीय वर्ष में एक संभाग के लिये राशि रु. 25.00 लाख निर्धारित की गई है, को वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नहरों एवं पक्के कार्यों से संबंधित अनुरक्षण कार्यों के लिये राशि रु. 50.00 लाख सीमा निर्धारित की जाती है । सुधार कार्य पूर्ण कराते हुए कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि रबी सिंचाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो ।

रु. 50.00 लाख की सीमा से अधिक राशि के साधारण मरम्मत के कार्य कराया जाना आवश्यक होने पर प्रस्ताव प्रपत्र-206 में जानकारी प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

  
(मदन सिंह डावर)  
प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग भोपाल.  
भोपाल, दिनांक 7/10/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 4214/61/2010  
प्रतिलिपि :-

- (1) समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश ।
- (2) समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल मध्य प्रदेश ।
- (3) वेब मैनेजर विश्व बैंक परियोजनायें भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईट पर पत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

  
(मदन सिंह डावर)

प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग भोपाल.

“कुशवाहा”